

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अधिकार दिवस, इंगला-9413403527

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी
 मुकाम उपखण्ड अधिकारी
 श्री राधेश्वर इंगला बनाम जीपाल इंगला
 नम्बर मुकदमा 251 (A) नं. 4/2023 मं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्ला जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7/23	<p>पार्सी की ओर से अधिलता श्री नरेन्द्र कुमार मेहता ने प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसकी बाह जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षिता को जारी सूचना पत्र लख किया जावे। पत्रावली देखते तामील रिपोर्ट एवं जवाब में दिनांक 25/7/2023 को पेश वे।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी इंगला</p>	
52 23	<p>पत्रावली पेश हुई। बकील पार्सी ने उपस्थित होकर प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान कारतकारी अधिनियम के तहत इस प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहेंगे। प्रकरण को नोट प्रेस किया गया। प्राथमिक पत्र प्रकरण में कार्यवाही को इसी स्तर पर बन्द की जाती है। पत्रावली के संख्या नम्बर से कम वे।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी इंगला</p>	<p>Not press</p>  